तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.7.23	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, विपक्षी सं. 2 3 4 को किबली मतबा कक-कक फर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नही, इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं वकील विपक्षी सं. 1 को जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है वास्ते पत्रावली विपक्षी सं. 1 के जवाब हेतु नियत दिनांक 3.8.23 को पेश हो।	
3.8.23	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील विपक्षी सं. 1 ने जवाब प्रस्तुत नही किया। वकील विपक्षी सं. 1 का जवाब बंद किया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 59/21 प्रा०पत्र

1– श्री सत्यनारायण S/o श्री शंकरलाल दर्जी निवासी- धोड़ास तहसील- माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री राजेन्द्र S/o श्री नारायण बैरवा निवासी- धोड़ास तहसील- माण्डल
2. श्री गोपाल S/o श्री शंकरलाल दर्जी ——————— " ———————
3. सार्वजनिक गोचर/ा: हनुमान जी का खेड़ा तहसील - माण्डल
4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० माण्डल त० माण्डल

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 03.08.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धोड़ास (हनुमान जी का खेड़ा) पटवार हल्का धोड़ास तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न० 2453/226, 2454/227 कुल किता 02 रकबा 0.7587 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमे प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03-08-21 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम धोड़ास हनुमान जी का खेड़ा पटवार हल्का धोड़ास तहसील माण्डल मे उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 2453/226, 2454/223 कुल किता 02 रकबा 0.7587 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक धोड़ास को 500/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा